

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकरी, जिला- मुंगेली(छ.ग.)

: आदेश :

क्रमांक/ 10449 /नि०स०/२०२०/

मुंगेली, दिनांक १७/०७/२०२०

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, इस बीमारी से विश्व में आज दिनाँक तक कंल 13616593 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक कंल 585727 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 35 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं जिनमें कंल 1038716 प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और कंल 26273 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। ४०५० राज्य में भी अद्यतन स्थिति में ५२४६ थनात्मक मरीजों पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है।

इसी प्रकार मुंगेली जिले में भी विशेषतः नगरीय निकायों में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तथा ४०५०शासन द्वारा जारी गार्डॅलाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के सम्पर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रखने की सख्त हिदायत है। ४०५०शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। COVID-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु मुंगेली जिले की समस्त नगरीय निकायों- नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, लोरमी, नगर पंचायत, पथरिया एवं नगर पंचायत, सरगांव तथा जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम को सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

अ. महामारी रोग अधिनियम, १८९७ के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक- एफ

१-२६/२०२०/१७-१/१३.०३.२०२० के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मुंगेली के नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, लोरमी, नगर पंचायत, पथरिया एवं नगर पंचायत, सरगांव सीमा क्षेत्र एवं जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक २२.०७.२०२० से दिनांक २८.०७.२०२० रात्रि १२.०० बजे तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती



यह आदेशित किया जाता है कि -

१. नगरपालिका परिषद, मुंगेली, नगर पंचायत-लोरमी, पथरिया, सरगांव के कार्यालय तत्काल प्रभाव से आम जनता के काम-काज हेतु बंद रहेंगे, किन्तु अत्यावश्यक सेवा यथा- बिजली, पानी, साफ-सफाई के कर्मी अपना काम-काज निरंतर जारी रखेंगे।
२. जिले में नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, हृत्यादि भी शामिल हैं, इसके परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसे निजी वाहन जो इस



आदेश के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं/वस्तुओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट होगी।

3. नगरपालिका परिषद, मुंगेली, नगर पंचायत, लोरमी, पथरिया एवं सरगांव तथा जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। सिफर वाणिज्यिक कारों परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात्रि में भी) होगी।
4. नगरपालिका परिषद, मुंगेली, नगर पंचायत, लोरमी, पथरिया एवं सरगांव जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी।
5. नगरपालिका परिषद, मुंगेली नगर पंचायत, लोरमी, पथरिया एवं सरगांव जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी -
(क)- श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाइयों के अंदर करनी होगी।
(ख)- आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाइयों को स्वयं करनी होगी।
(ग)- संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।
(घ)- इन इकाइयों से पॉजिटिव व्यक्ति पाये जाने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाइयों को ही करना होगा।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाइयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
7. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
8. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेनटाईन की निगरानी में रखे गए हैं उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेनटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसमें लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राईवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर ८००० शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन

स.






करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है :-

1. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा।
2. पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)
3. भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय
4. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
5. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायरेसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
6. दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
7. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें
8. फल, सब्जी, दूध ब्रेड, डेयरी उत्पाद विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 07.00 बजे से 11.00 बजे तक होगी।
9. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06.00 बजे से 09.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
10. मास्क, सेनेटाईजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित हो, उन्हें परिवहन करने वाले वाहन।
11. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी सम्मिलित है।
12. जेल
13. अग्निशमन सेवायें
14. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें
15. ए.टी.एम. पोस्टल सेवायें, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
17. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां
18. कृषि उपकरण एवं दवाईयों, पशु चारा से संबंधित प्रतिष्ठान एवं दुकान
19. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कार्मस आपूर्ति
20. टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें
21. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
22. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर





एवं खान। ये सभी संस्थान अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

23. न्यूमतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियां इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडियां भी शामिल हैं।

24. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

द. नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, लोरमी, नगर पंचायत, पथरिया एवं नगर पंचायत, सरगांव तथा जरहागांव, सेतगंगा व बरेला ग्राम के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंक के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूमतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
2. सभी बैंक के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।
3. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।
4. बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

इ. निजी प्रतिष्ठान जो कंडिका-स में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उ. 1. उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत दंडनीय होंगे।

2. उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक- एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(पी.एस.एल.मा)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
मुंगेजी (छ.न.)





पृष्ठांकन क्रमांक/नि०स०/२०२०/ १०५५५

प्रतिलिपि :-

मुंगेली, दिनांक १९ /०७/२०२०

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुंगेली
9. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सहायक संचालक, जनसंपर्क, मुंगेली को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
12. सर्व कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला- मुंगेली सूचनार्थ एवं प्रतिबंध के संबंध में आवश्यक प्रचार, मुनादी कराये जाने हेतु प्रेषित।

[Signature]
कलेक्टर एवं सिल्ला दण्डाधिकारी
कलेक्टर
मुंगेली(छ.ग.)